(173) (49) (160)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट, रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

Rs.-30/-

रामचन्द्र पटेल तनय केमला प्रसाद पटेल, उम्र–80 वर्ष, पेशा–कृषि,निवासी ग्राम सुकुलगवॉ (पहाडी),पो0–पहाडी, थाना–शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला–रीवा म0प्र0 ——**निगरानीकर्ता / आवेदक**

बनाम

श्रीमती छोटकी पटेल पति लाल बहादुर पटेल पिता मुन्ना पटेल, उम्र–45 वर्ष, पेशा–घरु कार्य, निवासी ग्राम सुकुलगवॉ (पहाडी), पो0–पहाडी, थाना–शाहपुर, तहसील हनुमना, जिला–रीवा म0प्र0 ——**गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदिका**

अधिवक्ता श्री रामराज सिंह द्वारा प्रस्तुत 08-8-16

<u>निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय वृत्त पहाडी हनुमना, जिला रीवा के रा0प्र0क्र0 23 अ–3 / 2013–14 पारित आदेश दिनांक 16 / 07 / 2016 को अपास्त करने बावत्।</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0–1959 ई0</u>

<u>संक्षिप्त विवरण</u>

आराजी खसरा नं0 188 / 1 रकवा 0.31 ए0 यानि 0.125 हे0 के मालिक भूमि स्वामी रामचन्द्र पटेल पिता केमला प्रसाद पटेल हैं। उनका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज है तथा उक्त आराजी में अनावेदक खेती कर रहा है। अनावेदिका की आराजी ख0नं0 188 / 5 रकवा 0.21 ए0 यानि 0.085 हे0 की भूमि स्वामी छोटकी पिता मुन्ना पटेल हैं तथा उभयपक्ष अपनी–अपनी प्राप्त भूमियों में काबिज होकर कास्त कर रहे हैं अनावेदिका छोटकी पटेल राजस्व निरीक्षक से सॉठ–गॉठ करके निगरानीकर्ता की पट्टे कब्जे व आधिपत्य वाली भूमि में अवैधानिक ढंग से नक्शा तरमीम कराकर रास्ता निकलवानां चाहती है जिसमें आवेदक निगरानी कर्ता की भूमि का अंश रकवा 0.008 हे0 रास्ता के रूप में बिना अभित्यजन की कार्यवाही कराये बिना ही तरमीम करा ली हैं जिसके

रामचन्द

(160)

(49)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 364-II/16 जिला रीवा

रामचन्द्र पटेल विरूद्ध छोटकी पटेल

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रामपाल सिंह अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 23/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-07-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

अभित्यजन की कार्यवाही कराये बिना ही तरमीम करा ली हैं जिसके

रामचन्द्र